विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, 15 सितम्बर, 2020

संख्या प. 2(15)विधि/2/2020.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020
(2020 का अधिनियम संख्यांक 13)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए विधेयक अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 36 की धारा 35 का संशोधन.- राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) की विद्यमान धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**35. ऐसे भिखारी के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही की जाये जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है.-** जहां पुनर्वास गृह के अधीक्षक या किसी पुनर्वास अधिकारी को, राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रथमदृष्ट्या या सरसरी तौर पर चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि पुनर्वास गृह में भर्ती करने के लिए उसके समक्ष लाया गया भिखारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास गृह में रखने के बजाय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का

केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) के उपबंधों के अनुसार मनो-चिकित्सालय में रखे जाने के लिए समुचित कदम उठा सकेगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 14, 2020

No. F. 2(15)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Bhikhariyon ya Nirdhan Vyaktiyon ka Punarvas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 13) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN REHABILITATION OF BEGGARS OR INDIGENTS (AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 13of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020)

An
Act

to amend the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 36 of 2012.- For the existing section 35 of the Rajasthan Rehabilitation of Beggars or Indigents Act, 2012 (Act No. 36 of 2012), the following shall be substituted, namely:-

"**35. A Beggar who is mentally ill, how to be dealt with.-**Where it appears to the Superintendent of Rehabilitation Home or a Rehabilitation Officer after getting due *prima facie* or cursory medical examination done from a Government Medical Officer that the beggar brought before him for admission to the Rehabilitation Home is mentally unsound, he may, instead of keeping such a person in the Rehabilitation Home take appropriate steps for confining such persons to Psychiatric Hospital as per provisions of Mental Health Act, 1987 (Central Act No. 14 of 1987).".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Govt.